सं0-946/62-2-2017-2/3(13)/2017

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 मई,2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हेतु लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पाँच माहों हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-417/ल0सिं0/बजट-3/2017-18,दिनांक 06.4.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2017 व दिनांक 20.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन संचालित डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य योजना) में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-215.60 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माहों हेतु धनराशि रू0-86.24 लाख (रूपया छियासी लाख चौबीस हतार मात्र) श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के निर्माण पर व्यय हेतु है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्ग्रत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

(3) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन शासनादेश स0-3938/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 20.11.2012 एवं शासनादेश स0-4058/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 14.12.2012 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जाय। सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(6) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गई किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोध्न की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें।

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15.10.2017 तक
3-	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण	15.12.2017 तक
4-	वर्ष 2017-18 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15.02.2018 तक
4-	आवंटन का समर्पण	15.03.2018 तक

नोट:- दिनांक 15.03.2018 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

2- तत्संबंन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-भूजल-05-डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.03.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीया,
(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

सं0-946(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।